उपायुक्त का कार्यालय (कल्याण शाखा) गिरिडीह।
अल्पकालिन निविदा सूचना

कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति / जनजाति आवासीय उच्च विधालय जमुआ, खरगडीहा एवं पीरटांड के छात्र / छात्राओं को कम्बल, दरी, बेडसीट, तकिया (कवर सहित), ओढने का चादर एवं मच्छरदानी की आपूर्ति हेतु ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठान एवं निर्माताओं से मुहरबन्द लिफाफों में निविदा आमंत्रित किया जाता है, निविदा जिला कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह के कार्यालय में दिनांक 27.12.16 को 02 बजे तक प्राप्त किये जायेगें।

प्राप्त निविदाओं को उप–विकास आयुक्त, गिरिडीह के कार्यालय कक्ष में जिला कय समिति के समक्ष दिनांक 27-12-16 को 4:00 बजे खोला जायेगा, निविदा खुलने समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि रह सकते हैं।

निविदा की शर्तें :

1. निविदादाता को जे0एस0टी0 एवं सी0एस0टी0 धारक होना चाहिए।
2. उपरोक्त सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदादाता को निविदा के साथ जिला कल्याण पदाधिकारी गिरिडीह के पदनाम से 10000.00 (दस हजार) रूपये का राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति की राशि के रूप में जमा करना होगा, इसके अतिरिक्त आयकर, बिक्रीकर आदि का स्वच्छता प्रमाण–पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
3. केवल निविदा सामग्री के निर्माता / अधिकृत बिक्रेता ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
4. निविदा सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए एवं निविदा की दरों में सभी करों एवं परिवहन व्यय को सम्मिलित करना अपेक्षित है।
5. तकनीकी बिड, वित्तीय बिड एवं भौतिक बिड में देना होगा। वित्तीय बिड में दर अंकित करना है तथा तकनीकी बिड में हर प्रकार का दस्तावेज संलग्न करना होगा एवं भौतिक बिड में नमूना देना होगा
6. प्रत्येक नमूना पर दर अंकित रहेगा। दर सभी टैक्स एंव भाड़ा सहित रहेगा, लिफाफे के उपर सामग्री का दर शब्द अंकित रहेगा।
7. उपरोक्त सामग्रियों की आपूर्ति चयनित नमूना एवं गुणवत्ता के अनुसार करना होगा, यदि किसी प्रकार विभेद पाया जाता है तो उसे आपूर्तिकर्त्ता को अपने खर्च पर बदलना होगा।
8. आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा नकली एवं खराब सामग्री देने की स्थिति में उनके विरूद्ध बैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
9. निविदा स्वीकृत होने पर आदेश निर्गत तिथि के 15 दिनों के अन्दर निविदादाता को सामग्रियों की आपूर्ति करनी होगी, अन्यथा उनकी निविदा रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
10. निर्धारित समय के बाद निविदा स्वीकार्य नहीं होगा।
11. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं की जायेगी, किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। सामानों की आपूर्ति संबंधित विधालय में किया जायेगा जिसके लिए परिवहन व्यय अलग से देय नहीं होगा।

16/12/16

उप विकास आयुक्त,
गिरिडीह।